भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
मौखिक प्रश्न संख्या: 69
गुरुवार, 24 जुलाई, 2025/2 श्रावण, 1947 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

एयर इंडिया विमान की दुर्घटना

***69. श्री सचिदानन्दम आर. :**
डॉ. गणपथी राजकुमार पी. :

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि 242 लोगों को लेकर लंदन जा रहा एयर इंडिया का बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर विमान 12 जून, 2025 को अहमदाबाद शहर से उड़ान भरने के कुछ ही क्षणों बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जो एक दशक में दुनिया की एक सबसे भीषण विमान दुर्घटना थी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त हादसे/दुर्घटना में जान गंवाने वाले हवाई यात्रियों, मेडिकल कॉलेज के छात्रों और आम लोगों की कुल संख्या कितनी है;

(ग) क्या उक्त दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए कोई जाँच दल गठित किया गया है और यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं और इस संबंध में विमान दुर्घटना जाँच ब्यूरो (एएआईबी) द्वारा की जा रही जाँच की वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) पीड़ितों के परिवारों को प्रदान किए जा रहे मुआवजे और दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल लोगों को प्रदत्त अन्य वित्तीय एवं चिकित्सा सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि भविष्य में ऐसी घटनाएँ न हों?

उत्तर

नागर विमानन मंत्री (श्री किंजरापु राममोहन नायडू)

(क) से (ङ) : विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

"एयर इंडिया विमान की दुर्घटना" के संबंध में श्री सचिदानन्दम आर और डॉ. गणपथी राजकुमार पी द्वारा पूछे गए दिनांक 24.07.2025 के लोक सभा मौखिक प्रश्न संख्या 69 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) से (ङ): एअर इंडिया की अहमदाबाद से गैटविक, लंदन के लिए निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय उड़ान (एआई-171) दिनांक 12.06.2025 को दोपहर लगभग 01:40 बजे दुर्घटनाग्रस्त हो गई। विमान में 230 यात्रियों, 10 केबिन क्रू और 2 पायलटों सहित 242 लोग सवार थे।

दुर्घटना में 260 व्यक्तियों को जानलेवा चोटें आईं, जिनमें से 241 व्यक्ति विमान में सवार थे और 19 व्यक्ति ज़मीन पर थे।

दिनांक 12.06.2025 को अहमदाबाद में एअर इंडिया की उड़ान संख्या एआई-171 की दुर्घटना के संभावित कारण(कारणों)/योगदायी कारक(कारकों) का निर्धारण करने के लिए महानिदेशक, वायुयान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो (एएआईबी) द्वारा वायुयान (दुर्घटनाओं और घटनाओं का अन्वेषण) नियमावली, 2017 के नियम 11 के तहत अन्वेषण का आदेश दिया गया है।

एएआईबी द्वारा दिनांक 12.07.2025 को दुर्घटना पर एक प्रारंभिक रिपोर्ट प्रकाशित की गई है और यह उनकी वेबसाइट www.aaib.gov.in पर उपलब्ध है। दुर्घटना के संभावित कारण(कारणों)/योगदायी कारक(कारकों) का निर्धारण करने के लिए अन्वेषण किया जा रहा है।

भारत ने वर्ष 2009 में विमानवहन अधिनियम, 1972 में संशोधन करके मॉन्ट्रियल कन्वेंशन 1999 का अनुसमर्थन किया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय परिवहन के लिए यात्री की मृत्यु, सामान या कार्गो के विलंब, क्षति या हानि के मामले में मुआवजे के लिए वाहकों की देनदारियों का प्रावधान है।

एअर इंडिया ने सूचित किया है कि उसने दिनांक 18.07.2025 की स्थिति के अनुसार 128 मृतकों के निकटतम रिश्तेदार (एनओके) को 25 लाख रुपये का अंतरिम मुआवजा जारी कर दिया है। शेष मृतकों के लिए, अंतरिम मुआवजे का भुगतान, निकटतम रिश्तेदार द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने के विभिन्न चरणों में है। अंतरिम मुआवजे के संवितरण की प्रक्रिया पूरी होने के पश्चात अंतिम मुआवजे की प्रक्रिया आरंभ की जाएगी।

एअर इंडिया ने यह भी सूचित किया है कि टाटा सन्स द्वारा अपेक्षित ट्रस्ट का पंजीकरण दिनांक 18.07.2025 को पूर्ण कर लिया गया है और एयरलाइन प्रत्येक मृतक के निकटतम रिश्तेदार (एनओके) को 01 करोड़ रुपये के स्वैच्छिक अनुग्रह भुगतान का संवितरण करने के लिए अपेक्षित दस्तावेजीकरण और सत्यापन औपचारिकताएँ आरंभ करने की प्रक्रिया में है। इसके अतिरिक्त, एअर इंडिया मृतकों और घायल व्यक्तियों के परिवारों को विभिन्न प्रकार से सहायता प्रदान कर रही है, जैसे यात्रा व्यवस्था, आवास, चिकित्सा व्यय, घायल हुए दैनिक वेतन भोगियों को तत्काल नकद भुगतान, आदि।

नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) के पास विमानों के सुरक्षित परिचालन और इनके रखरखाव के लिए व्यापक और संरचित नागर विमानन विनियम मौजूद हैं। इन विनियमों को

निरंतर अद्यतित किया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (आईसीएओ)/यूरोपीय संघ विमानन सुरक्षा एजेंसी (ईएएसए) के मानकों के अनुरूप बनाया जाता है।

नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) के पास एक संरचित निगरानी और ऑडिट फ्रेमवर्क मौजूद है अर्थात संगठन/विमानों की नियोजित और अनियोजित निगरानी, जिसमें अनुरक्षण परिपाटियों की नियमित निगरानी सहित सभी प्रचालकों के लिए नियमित एवं आवधिक ऑडिट, स्पॉट चेक, रात्रि निगरानी और रैंप निरीक्षण शामिल हैं। किसी उल्लंघन के मामले में, डीजीसीए प्रवर्तन नीति और प्रक्रिया मैनुअल के अनुसार प्रवर्तन कार्रवाई करता है।

*****